Estd.1972

ALL INDIA KENDRIYA VIDYALAYA TEACHERS' ASSOCIATION

(Reg. No. 10296)
DEJURE RECOGNISED BY
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN, MINISTRY OF HRD, GOVT.OF INDIA

M B AGRAWAL
General Secretary, AIKVTA
&
Leader (Staff Side)JCM(KVS)
09414455832, 09887733117(Mob.)
E-Mail-mbaaikvta@gmail.com

Correspondence Address
42-B Mitra Nagar Colony
Opposite Super King School
Ram Nagar Sodala,
JAIPUR (Raj.)-302019
Web Site :www.aikvtahq.in

S R TIWARI
President, AIKVTA
&
Member (Staff Side) JCM (KVS)
09407000790,
E-Mail-tiwarishriram07@gmail.com

F.01/AIKVTA HQ/GS/2019-21/40 — दिनांक: 01.12.2019

प्रति

मानननीय श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत

सांसद (कोरबा लोकसभा)

कोरबा (छस्तीस)

विषय :- केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षकों को <u>Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) का लाभ दिलवाने के संबन्ध में ।</u>

महोदया,

उपर्युक्त विषय के संबन्ध में निवेदन है कि भारत सरकार ने छठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सभी केन्द्रीय कर्मचारियों को Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) का लाभ प्रदान किया था । केन्द्रीय विद्यालय संगठन के Board of Governors (BOG) के द्वारा पारित निर्णय के बावजूद मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को (Non-Teaching Staff) यंहा तक की माननीय सहायक आयुक्त एवं माननीय उपायुक्त महोदय तक को तो Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) का लाभ प्रदान कर दिया परन्तु शिक्षकों को केन्द्रीय विद्यालय संगठन के बार-बार आग्रह एवं Board of Governors (BOG) के द्वारा पारित निर्णय के बाद भी आज तक लागू नहीं किया । महोदय, उक्त संदर्भ में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, लखनऊ एवं माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, कोलकता के आदेश के बाद भी शिक्षकों को उक्त लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा है, जबकि स्पेस एवं सैनिक विद्यालयों के शिक्षकों को भी उक्त लाभ दे दिया गया है ।

महोदया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने हर स्तर पर अपने जबाब में तर्क देती है की Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) का लाभ लेने के लिए Assured Career Progression Scheme (ACPS) का लाभ मिलना जरुरू था क्योंकि केन्द्रीय विद्यालय संगठन में कार्यरत संघ के अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ के महासचिव ने भारत सरकार के द्वारा पांचवें वेतन आयोग की सिफ़ारिस के अनुसार Assured Career Progression Scheme (ACPS) का लाभ लेने से मना कर दिया था इसलिये केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों को <u>Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) का लाभ</u> प्रदान नहीं किया जा सकता क्योंकि <u>Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) का लाभ लेने के लिए</u> Assured Career Progression Scheme (ACPS) का लाभ लिया जाना जरुरी था।

महोदया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार का उक्त तथ्य सत्यता से परे है क्योंकि Assured Career Progression Scheme (ACPS) का लाभ देना या न देना भारत सरकार की नीति का हिस्सा था न कि किसी संघ के कहने पर Assured Career Progression Scheme (ACPS) का निर्णय लिया जाना था।

महोदया, एक बार यह मान भी लिया जाये कि अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ के कहने पर केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों को Assured Career Progression Scheme (ACPS) का लाभ नहीं दिया गया

परन्तु महोदया क्या अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ का महासचिव इतना पावरफ़ुल हो गया कि उसके कहने या लिखने देने मात्र से नवोदय विद्यालय एवं रेल्वे स्कूल के शिक्षकों को भी Assured Career Progression Scheme (ACPS) एवं Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) का लाभ नहीं दिया गया।

महोदया, वास्तिवकता यह है कि :-

1. अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ के नाम से जिस शिक्षक ने लिख कर दिया वह अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ का कानूनन महासचिव था ही नहीं।
2. Assured Career Progression Scheme (ACPS) का लाभ देना न देना इसका निर्णय केवल भारत सरकार को ही लेना था न की किसी संघ को।
3. एक ही विभाग में दो तरह के मापदंड कैसे अपनाये जा सकते कि गैर-शैक्षिक कर्मचारियों को तो Assured Career Progression Scheme (ACPS) का लाभ दे दिया जाये एवं शैक्षिक कर्मचारियों को Assured Career Progression Scheme (ACPS) का लाभ न दिया जावे।
4. अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ के महासचिव के कहने पर या लिख कर देने से केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों , नवोदय विद्यालयों के शिक्षकों एवं रेल्वे स्कूल के शिक्षकों से शिक्षकों को भी Assured Career Progression Scheme (ACPS) एवं Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) का लाभ रोका जा सकता है ।
5. अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ के जिस महासचिव के कहने से उक्त लाभ रोक गये उसमें क्या लिखा था क्या उस पत्र के पूरे मसोदे का सरकार ने पालन किया।
6. यदि अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ के महासचिव के कहने से ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार निर्णय लेता है तो वर्तमान में मैं अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ का महासचिव हुँ एवं मैं केन्द्रीय विद्यालय संगठन एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से आग्रह करता हुँ की केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षकों को पाँचवे एवं छठवें वेतन आयोग की सिफ़ारिसों के अनुरूप Assured Career Progression Scheme (ACPS) एवं Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) का लाभ दे दिया जावे।

आपसे विनम्र आग्रह कि केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों को भी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के Board of Governors (BOG) के द्वारा पारित निर्णय के एवं माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, लखनऊ एवं माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, कोलकता के आदेश, एवं स्पेस के विद्यालयों एवं सैनिक स्कूल के शिक्षकों को जिस आधार पर Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) का लाभ प्रदान किया गया है उसी प्रकार केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों को भी Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) का लाभ दिलवाने का श्रम करें ।

महोदया, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षक आपके हमेशा आभारी रहेंगें ।

सधन्यवाद।

<u>भवदीय</u>

मुकुट बिहारी अग्रवाल
महासचिव (अ भा के वि शि संघ)
एवं
लीडर(स्टाफ़साइड) जेसीएम, केविएस